न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–XI, बिहारशरीफ,नालन्दा

पीठासीन पदाधिकारीः–मनीष कुमार–I

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1100/2026, BRNL01 003454 2026, संदर्भ गिरियक थाना कांड सं0–185/2026

==========

1. **अशेश्वर यादव** पे0 वासुदेव यादव, उम्र 70 वर्ष,
   निवासी ग्राम शाहाबाद, थाना कतरीसराय, जिला नालन्दा **आवेदक;**

बनाम

बिहार सरकार **विपक्षी।**

==========

उपस्थितिः–

आवेदक की ओर से श्री दिलीप कुमार,
श्री राजकुमार, **विद्वान अधिवक्ता;**

बिहार सरकार की ओर से श्री महेश सिंह यादव, **विद्वान अपर लोक अभियोजक।**

==========

आदेश

18.06.2026

1. गिरियक थाना काण्ड सं0 185/2026 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में उपरोक्त नामित आवेदक अभियुक्त **अशेश्वर यादव** की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन उनकी संभावित गिरफ्तारी को देखते हुए दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्राप्त करायी गयी है। ए0बी0पी0 नं0–939/2026 का अभिलेख एवं कांड दैनिकी संलग्न होने पर आज सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ।

2. वाद पुकारा गया। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री महेश सिंह यादव उपस्थित हुए।

3. आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि वह निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है बल्कि उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। उनकी ओर से इस आवेदन के पूर्व कोई अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश, नालन्दा या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। उसके विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के भैंसुर को रॉड से मारपीट कर जख्मी करने का आरोप है। अभियोजन वाद बिल्कुल असत्य, बेबुनियाद एवं निराधार है। धारा 109(1) भा0न्या0सं0 के अतिरिक्त प्राथमिकी में लगायी गई अन्य धाराएँ जमानतीय प्रकृति के हैं एवं उक्त धारा 109(1) में लगाया गया आरोप अस्पष्ट एवं बहुप्रयोज्य प्रकृति का है। दोनों पक्षों के बीच भूमि से संबंधित विवाद हुआ था, जिसके बाद सूचिका ने आवेदक सहित अन्य के विरूद्ध यह वाद संस्थित करायी है। वह विधि का सम्मान करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है। वह प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगे एवं जमानत हेतु धारा 482(2) भा0ना0सु0सं0 की शर्तो के साथ–साथ न्यायालय के आदेश का अक्षरशः

18-06-2026

पालन करने तथा न्यायालय के संतुष्टी के अनुसार बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाय।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन का सशक्त विरोध करते हैं।

5. उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वर्णित गिरियक थाना काण्ड सं0 185/2026 सूचिका किरण देवी के लिखित आवेदन के आधार पर धारा 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में संस्थित की गई है। उक्त लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त वाद है कि दिनांक 12.04.2026 को गाली–गलैज सुनकर उसके भैंसुर बाल्मिकी यादव घर से बाहर आये तो अशेश्वर यादव अपने हाथ में लिए रॉड से जान मारने के नियत से सिर पर मारा जिससे उनका सर फट गया और वह वहीं जमीन पर गिर गये। जमीन पर गिर जाने के बाद अंकित कुमार एवं रेणु देवी अपने हाथ में लिए ईंट–पत्थर से उसके भैंसुर को मारने लगी। हल्ला पर परिवारवाले घर से बाहर निकले और बीच–बचाव किये। उपरोक्त तीनों लोग गाली–गलौज करते हुए अपने घर चले गये। भैंसुर को ईलाज करने के लिए कतरीसराय प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, लाये जहॉ चिकित्सकों द्वारा उचित ईलाज हेतु पावापुरी अस्पताल भेज दिया गया।

6. अभिलेख का पुनः अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त है एवं वाद संस्थित होने के पश्चात् अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया है। ए0बी0पी0 नं0–939/2026 से कांड दैनिकी की प्रति संलग्न है, जिसके कण्डिका 02 में वादिनी ने अपने पुनर्बयान में एवं कण्डिका 06, 07 में अन्य साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के साथ जख्म–प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार सूचिका के भैंसुर बाल्मिकी यादव के शरीर पर 01. Body ache, 02. Sweling in head पाया गया है, जो कठोर एवं भोथरे पदार्थ से कारित है तथा जख्म की प्रकृति साधारण बतायी गई है। आवेदक के विरूद्ध लोहे के रॉड से सिर पर मारने का आरोप है, परंतु प्राथमिकी आवेदन में जैसा आरोप लगाया गया है उसकी पुष्टि जख्म प्रतिवेदन से नहीं हो रहा है। आवेदक 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति है तथा जमानत आवेदन के कण्डिका 03 एवं कांड दैनिकी के कण्डिका 19 के अनुसार उनका पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर साक्षियों को प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। कांड का अनुसंधान प्रचलन में है।

18-06-2026

7. अतः एतस्मिन पूर्व वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों के विवेचना, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं आवेदिका के स्वच्छ आचरण को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **अशेश्वर यादव** का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है एवं उनको गिरियक थाना काण्ड सं0 185/2026 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने या विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ के न्यायालय में इस आदेश के प्राप्ति के 30

दिनों के अन्दर आत्मसमर्पण करने एवं मो0 15,000/–रूपये का बंधपत्र उतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं के साथ निष्पादित करने पर उनको जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि वह –**1. प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उचित पैरवी करेगी, 2. वाद के अनुसंधान, विचारण एवं निष्पादन में पूर्ण सहयोग करेगी एवं 3. भविष्य में इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होगी।**

8. कार्यालय इस आदेश की प्रति अविलंब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ, के न्यायालय को सूचनार्थ अग्रसारित करे तथा इस आदेश की पीडीएफ प्रति NJDG पर अपलोड कर अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित एवं संशोधित)

(मनीष कुमार–I)
अपर सत्र न्यायाधीश–XI
नालन्दा, बिहारशरीफ

Date of Judgment/Order	18-06-2026
Date of Reserving Judgment/Order	18-06-2026
Uploading date	24.06.2026
Uploaded by	Juli Kumari